गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां: बाजीगर*

पी. विजय भास्कर

परिचय

भारतीय वित्त क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो भिन्न-भिन्न बाजार समूहों को सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें सबसे शीर्ष स्थान अनुसूचित वाणिज्य बैंक का है जो सार्वभौमिक बैंकिंग मॉडल का अनुसरण करता है। इसके बाद सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का स्थान आता है जिसके दो प्रकार हैं। तीन श्रेणी वाला ग्रामीण सहकारी ढांचा (राज्य/ जिला/मूलभूत स्तर के संस्थान) विशेष रूप से कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को सेवा पहुँचाता है तो शहरी सहकारी बैंकिंग ढांचा मुख्यतः शहरी क्षेत्र के सबसे पिछड़ी श्रेणी में आने वाले छोटे ग्राहकों को सहायता पहुँचाता है। दूसरी तरफ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) प्रमुख रूप से उन उधारकर्ता वर्ग को सहायता पहुँचाती हैं जो आम तौर पर औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की सुविधा से वंचित हैं। तथापि धीरे-धीरे पिछले कुछ वर्षों में बैंक और एनबीएफसी के बीच का अंतर कुछ हद तक कम हुआ है। अभी हाल में एनबीएफसी अन्य सेवाओं के अलावा आधारभूत संरचना और आवास वित्त जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में बैंकों के साथ होड़ में लगी हुई हैं।

एनबीएफसी बहुत पहले से ही वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में लगी हुई हैं जैसे छोटे रकम के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना, दु-पहिया/ति-पहिया वित्तपोषण, ट्रक वित्तपोषण, कृषि उपकरण वित्तपोषण, उपयोग में लाए गए वाणिज्यिक वाहनों/मशीनों के क्रय के लिए ऋण, प्रतिभूत/अप्रतिभूत कार्यशील पूंजी वित्तपोषण इत्यादि। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनके कारोबार की जरूरत के अनुसार उपयुक्त नवोन्मेषी वित्त सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका अदा करती हैं। एनबीएफसी द्वारा प्रदत्त वित्त सेवाओं की विशेषताएं हैं - ऋण संस्वीकृति और संवितरण की सरल प्रक्रिया एवं पद्धति; समय पर, अनुकूल एवं लचीली शर्तों पर चुकौती जो उनके ग्राहक विशेष लक्षणों पर केंद्रित है, फिर भी इन सेवाओं की लागत अधिक है।

कार्यों का अतिव्यापन तो अपरिहार्य है लेकिन इसका देश की औपचारिक वित्त प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

भाषण को छह खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 1 में एनबीएफसी क्षेत्र की रूपरेखा दी गई है जबकि खंड 2 एनबीएफसी के वर्तमान विनियामक ढांचे से संबंधित है। खंड 3 में एनबीएफसी क्षेत्र के कारोबार की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है। समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने में एनबीएफसी द्वारा अदा की गई महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में खंड 4 में दिया गया है। बाजीगर बनने की ओर एनबीएफसी के बढ़ते कदम के संबंध में उद्योग और विनियामकों द्वारा ध्यान दिए जाने योग्य आवश्यक बातों की झांकी खंड 5 में प्रस्तुत की गई है और खंड 6 में निष्कर्ष दिया गया है।

खंड 1
एनबीएफसी क्षेत्र की रूपरेखा

1.1 एनबीएफसी की विधिक परिभाषा

कोई कंपनी एनबीएफसी कहलाती है जब वह अपना कारोबार या अपने कुछ हिस्से का कारोबार, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45आई(सी) में सूचीबद्ध कोई कार्यकलाप करती है अर्थात् ऋण/अग्रिम प्रदान करने या शेयरों/प्रतिभूतियों का अधिग्रहण इत्यादि का कारोबार, या किराया खरीद वित्त या बीमा कारोबर या चिट फंड के कार्यकलाप या किसी अन्य प्रकार से ऋण प्रदान करना बशर्ते ऐसी कंपनी के मुख्य कारोबर में (क) कृषिजन्य कार्य (ख) औद्योगिक कार्यकलाप (ग) माल का व्यापार (प्रतिभूतियों को छोड़कर) (घ) सेवाएं प्रदान करना (ङ) अचल संपत्ति का क्रय, निर्माण या विक्रय जैसे गैर-वित्तीय कार्यकलाप शामिल न हों। इसके अतिरिक्त आरबीआई अधिनियम की धारा 45आई(एफ) के अनुसार किसी कंपनी का किसी योजना या व्यवस्था के अंतर्गत जमाराशि स्वीकार करना मूलभूत कारोबार हो तो वह कंपनी भी एनबीएफसी कहला सकती है। इस प्रकार जिस कंपनी का मूलभूत कारोबार कृषि कार्य, औद्योगिक कार्यकलाप, ट्रेडिंग या भू-संपदा कारोबार है वह वित्तीय संस्था नहीं कहला सकती।

* यह भाषण भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री पी. विजय भास्कर द्वारा 23 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में 'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी - बाजीगर' के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया। श्री एम. श्रीरामुलु, सहायक परामर्शदाता, गै.बैं.प.वि., भा.रि.बैंक द्वारा दी गई सहायता के प्रति हार्दिक आभार।

चार्ट 1: एनबीएफआई जगत

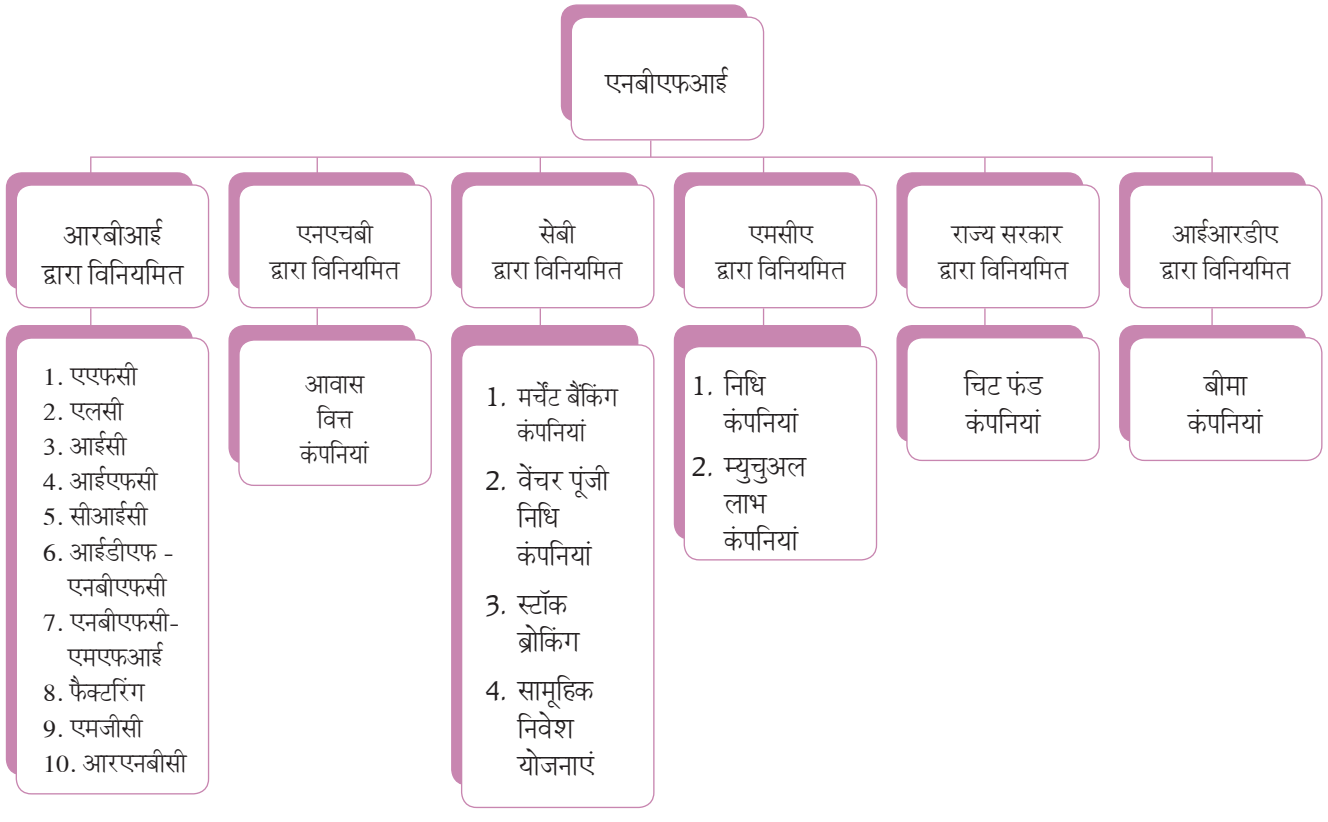

गैर-बैंक वित्त संस्था (एनबीएफआई) जगत् में अत्यंत वैविध्यपूर्ण संस्था और उनके विनियामकों को चार्ट 1 में दर्शाए गया है।

ऊपर बताए गए अनुसार आरबीआई द्वारा एनबीएफसी को दस श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार हैं - आस्ति वित्त कंपनियां (एएफसी), ऋण कंपनियां (एलसी), निवेश कंपनियां (आईसी), बुनियादी संरचनागत वित्त कंपनियां (आईएफसी), स्थायी निवेश कंपनियां (सीआईसी), बुनियादी संरचनागत ऋण कोष (आईडीएफ-एनबीएफसी), एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई), फैक्टरिंग कंपनियां (एफसी), बंधक गारंटी कंपनियां (एमजीसी) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीएफसी)।

1.2 क्षेत्र का आकार

जीडीपी में एनबीएफसी की आस्तियों का हिस्सा 31 मार्च, 2006 के 8.4 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 12.5 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान बैंक का हिस्सा 75.4 प्रतिशत से बढ़कर 95.5 प्रतिशत हो गया (सारणी 1)। वास्तव में यदि ₹100 करोड़ से कम आस्ति वाली सभी एनबीएफसी को लिया

सारणी 1: एनबीएफसी एवं बैंकिंग (एससीबी) क्षेत्रों की आस्तियों का जीडीपी की तुलना में प्रतिशत

वर्ष / अनुपात	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
एनबीएफसी की जीडीपी की तुलना में आस्तियां (प्रतिशत)	8.4	9.1	10.1	10.3	10.8	10.9	11.9	12.5
बैंक की जीडीपी की तुलना में आस्तियां (प्रतिशत)	75.4	80.6	86.8	93.0	93.0	92.2	92.7	95.5

टिप्पणी: एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियों में जमाराशि स्वीकार करने और नहीं करने वाली उन सभी एनबीएफसी की आस्तियां शामिल हैं जिनकी आस्तियों का आकार ₹100 करोड़ एवं इससे अधिक (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) है।

स्रोत: (i) भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2007-2013; (ii) भारतीय अर्थव्यवस्था, 2012-13 की सांख्यिकी की हस्त पुस्तिका।

जाए तो जीडीपी की तुलना में एनबीएफसी की आस्तियों का हिस्सा और अधिक होगा।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बैंकिंग प्रणाली (अधिसूचित वाणिज्य बैंक-एससीबी) की आस्तियों की तुलना में एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति का आकार लगभग 13 प्रतिशत था; जबकि इस क्षेत्र की जमाराशियां (आरएनबीसी सहित) बैंक की जमाराशियों के 0.15 प्रतिशत से कम थीं (चार्ट 2)। आरबीआई के नीतिगत निदेशों[1] के अनुसार एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा धारण की गई जनता की जमाराशियों में गिरावट आई। जनता की जमाराशियों में गिरावट आने के पीछे प्रमुख कारण आरएनबीसी थी। आरबीआई के संगठित प्रयासों से जमाएं स्वीकार करने वाली एनबीएफसी की संख्या जून 2006 के 428 से घटकर जून 2013 में 254 रह गई।

1.3 कारोबार - संकेंद्रण

बैंकिंग क्षेत्र से भिन्न, एनबीएफसी के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं न केवल कार्य के आकार और विशेषज्ञता के संदर्भ में भिन्न

चार्ट 2: एनबीएफसी क्षेत्र का आकार

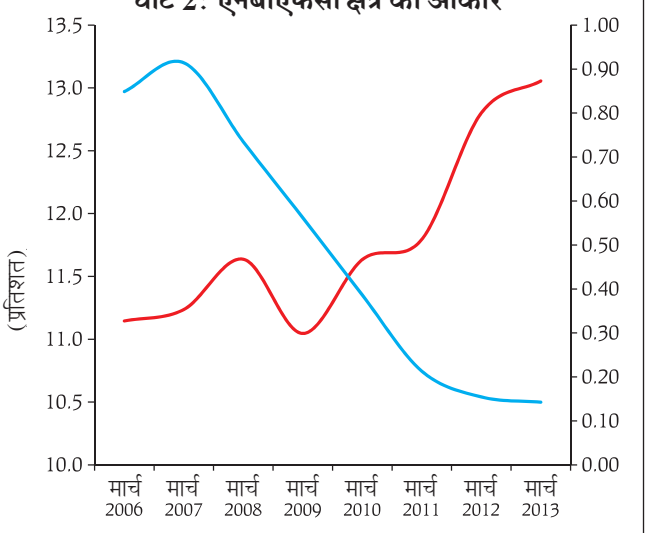

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

[1] समष्टि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास की मध्यावधि समीक्षा: 2004-05: अंतरराष्ट्रीय तौर पर जनता की जमाराशियां स्वीकार करना केवल बैंक तक सीमित है और एनबीएफसी सहित गैर-बैंक, संस्थागत स्रोतों या पूंजी बाजार से संसाधन जुटाते हैं। एनबीएफसी को इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय परिपाठी के अनुसार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। रिज़र्व बैंक जनता की जमाराशियां स्वीकार करने की एनबीएफसी की परिपाठी को स्वेच्छा से ख़त्म करने के लिए अपनी कार्य योजना के संबंध में एनबीएफसी के साथ चर्चा करेगी और साथ ही उपयुक्ततानुसार एनबीएफसी को प्रदान किए जाने वाले बैंक ऋण संबंधी विनियमों की समीक्षा करेगी।

हैं बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की दृष्टि से भी भिन्न हैं। एनबीएफसी में न केवल संस्थाएं शामिल हैं जो बड़े बहुराष्ट्रीय समूहों का हिस्सा है बल्कि लगभग ₹25 लाख आस्ति वाली छोटी संस्थाएं भी शामिल हैं।

'हरफिन्दह्ल-हिर्चमन सूचकांक (एचएचआई)[2]' पर आधारित कुल आस्तियों और कुल ऋणों के संदर्भ में कारोबार का संकेंद्रण दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में एनबीएफसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक है क्योंकि एनबीएफसी क्षेत्र का एचएचआई मार्च 2012 और मार्च 2013 के अंत में निम्नतर पाया गया।

1.4 गैर बैंक वित्तीय संस्था - बहुराष्ट्रीय विश्लेषण

वैश्विक तौर पर गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता का आकार 20 अधिकार क्षेत्रों और यूरो क्षेत्र के लिए 2012 के अंत में जीडीपी के 117 प्रतिशत के समतुल्य था[3]। समग्र तौर पर गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थताओं की कुल आस्तियां 2012 के अंत में लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर रहीं।

अमरीका की गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता की प्रणाली सबसे बड़ी है जिसकी आस्ति 26 ट्रिलियन डॉलर है और इसके बाद यूरो क्षेत्र (22 ट्रिलियन डॉलर), यूके (9 ट्रिलियन डॉलर) तथा जापान (4 ट्रिलियन डॉलर) का स्थान है।

औसतन, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता का आस्तियों की दृष्टि से आकार बैंकिंग प्रणाली के 52 प्रतिशत के समतुल्य था। तथापि,

सारणी 2: हरफिन्दहल-हर्चमन सूचकांक[2]

अवधि	एनबीएफसी क्षेत्र		बैंकिंग क्षेत्र	
	कुल आस्तियां	कुल ऋण	कुल आस्तियां	कुल ऋण
मार्च 2012	372.4	591.8	508.5	545.2
मार्च 2013	407.2	635.1	514.0	879.5

स्रोत: एनबीएफसी क्षेत्र के व्यष्टि स्तर के आंकड़े गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के कासमास डेटाबेस से प्राप्त किए गए हैं जबकि बैंक स्तर के आंकड़े भारत के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों से लिए गए हैं।

[2] संकेन्द्रण की सामान्यत: स्वीकृत माप। इसकी गणना के लिए कुल आस्तियों (या ऋण) में प्रत्येक फर्म के हिस्से को दुगुना कर प्राप्त संख्या को जोड़ दिया जाता है। एचएचआई परिणाम की संख्या शून्य से 10,000 के बीच रहती है जिसमें 10,000 एकाधिकार दर्शाता है और शून्य पूर्ण प्रतियोगिता की ओर संकेत करता है। यदि एचएचआई परिणाम 1,000 से कम होता है तो उद्योग में प्रतिस्पर्धा माना जा सकता है; 1,000-1,800 की संख्या कुछ हद तक संकेन्द्रित मानी जा सकती है; एवं 1,800 या इससे अधिक ज्यादा संकेन्द्रित मानी जा सकती है।

[3] ग्लोबल शेडो बैंकिंग मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2013 (पृष्ठ सं. 9)

काफी बहु-राष्ट्रीय मतभेद पाए गए जो 10 प्रतिशत से 174 प्रतिशत के दायरे में था।

उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के मामले में गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता का आकार जीडीपी के स्तर की अपेक्षा छोटा था। भारत, तुर्की, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउदी अरब में गैर-बैंक वित्तीय कार्यकलाप 2012 के अंत में जीडीपी से 20 प्रतिशत कम रहा।

इस प्रकार वैश्विक मानकों के अनुसार भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र का आकार अपेक्षाकृत कम है।

खंड 2
एनबीएफसी का वर्तमान विनियामक ढांचा

एनबीएफसी के लिए व्यापक विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से 1997 में आरबीआई अधिनियम 1934 के अध्याय IIIबी, IIIसी और V में संशोधन किया गया।

विनियम के सिद्धान्त का लक्ष्य मोटे तौर पर (i) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, (ii) शेष वित्तीय प्रणाली के साथ अंतर-संबद्धता के कारण पैदा होने वाले प्रणालीगत जोखिमों को दूर करना और (iii) उपभोक्ता सुरक्षा है।

एनबीएफसी का वर्तमान विनियामक ढांचा अनुबंध-I में दिया गया है।

यूटी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विनियामक ढांचा और अधिक परिष्कृत होगा।

खंड 3
एनबीएफसी क्षेत्र के कारोबार की प्रवृत्ति - विश्लेषण

3.1 तुलन पत्र वृद्धि

पिछले दस वर्षों में एनबीएफसी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। औसतन, इस क्षेत्र ने मार्च 2006 से मार्च 2013 के बीच 22 प्रतिशत की दर से संयुक्त वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) दर्ज की। कई साल, एनबीएफसी क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हुई (चार्ट 3)।

2011-12 में एनबीएफसी क्षेत्र में प्रतिचक्रीय संचलन देखा गया। दूसरे शब्दों में, एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा 2011-12 में 25.7

चार्ट 3: तुलन पत्र में वृद्धि - एनबीएफसी *की तुलना में* बैंक

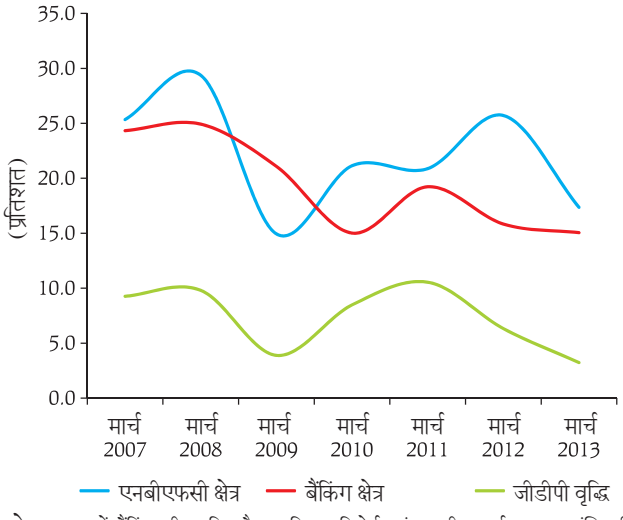

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट एवं भारतीय अर्थव्यवस्था सांख्यिकी की हस्तपुस्तिका

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई यद्यपि जीडीपी वृद्धि 2010-11 के 10.5 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 6.3 प्रतिशत रह गई।

3.2 ऋण में वृद्धि

एनबीएफसी और बैंकिंग क्षेत्रों में हुई ऋण वृद्धि चार्ट 4 में दर्शाई गई है। एनबीएफसी के ऋणों में बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। एनबीएफसी ऋण में मार्च 2007 और मार्च 2013

चार्ट 4: ऋण में वृद्धि -एनबीएफसी *की तुलना में* बैंक

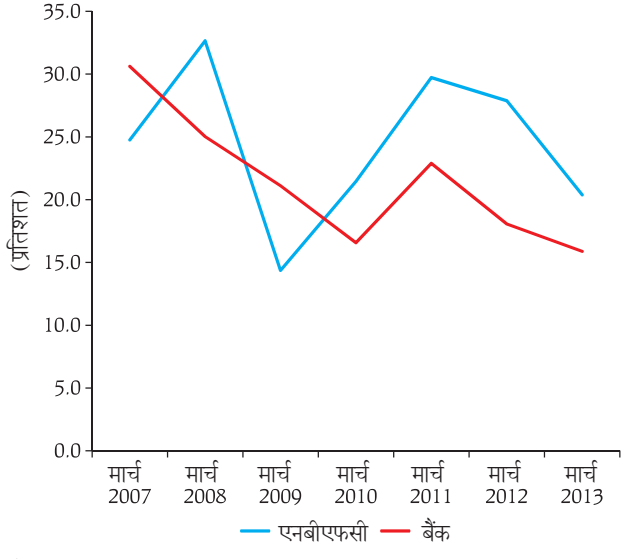

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

के बीच 24.3 प्रतिशत की सीएजीआर देखी गई जबकि बैंकिंग क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान 21.4 प्रतिशत की सीएजीआर देखी गई।

हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई इसके बावजूद एनबीएफसी के ऋणों में भारी वृद्धि हुई जो प्रमुख रूप से बुनियादी संरचनागत ऋण एवं खुदरा वित्त में भारी वृद्धि के कारण है।

3.3 बुनियादी संरचना का वित्तपोषण

बुनियादी संरचनागत प्रॉजेक्ट के वित्तपोषण के जरिए एनबीएफसी देश के पूंजी निर्माण में विस्तार लाता है और इस प्रकार देश की संपूर्ण आर्थिक वृद्धि एवं विकास में सहयोग देता है।

एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा 31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2013 के बीच प्रदत्त बुनियादी संरचनागत वित्त ने 26.2 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया। समग्र तौर पर बुनियादी संरचना क्षेत्र को प्रदान किया गया एनबीएफसी वित्त 31 मार्च 2010 के ₹2228 बिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹4479 बिलियन हो गया (चार्ट 4ए)।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बुनियादी संरचना क्षेत्र को प्रदत्त एनबीएफसी वित्त 35.8 प्रतिशत रहा जबकि बैंक द्वारा प्रदत्त वित्त 7.6 प्रतिशत था।

चार्ट 4क: बुनियादी संरचना क्षेत्र को ऋण - एनबीएफसी *की तुलना में* बैंक

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था सांख्यिकी की हस्तपुस्तिका

3.4 सार्वजनिक जमाराशियां

आरबीआई के निदेशों के अनुसार एनबीएफसी क्षेत्र की सार्वजनिक जमाराशियां मार्च 2007 के ₹247 बिलियन से काफी घटकर मार्च 2013 में ₹106 बिलियन रह गईं (चार्ट 5)।

सार्वजनिक जमाराशियों में गिरावट प्रमुख रूप से आरएनबीसी के कारण है जो जून 2015 तक एनबीएफसी के कारोबार मॉडल से

चार्ट 5: जनता की जमाराशियों की प्रवृत्ति

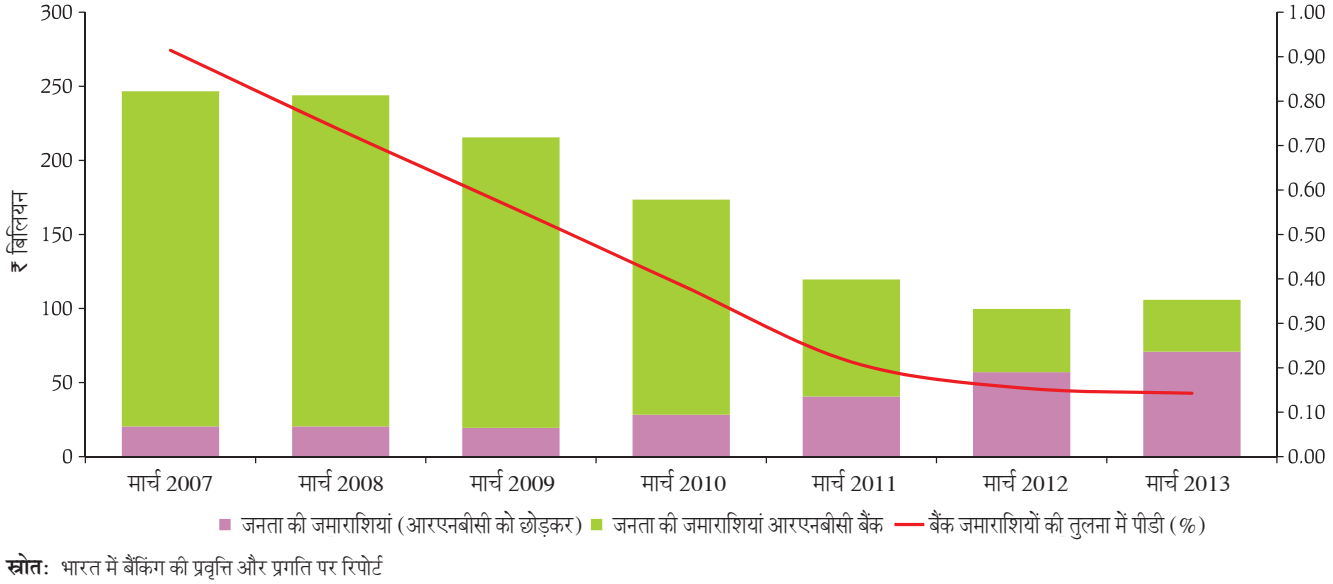

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

अलग होने वाली है। आरएनबीसी की सार्वजनिक जमाराशियां 31 मार्च 2007 के ₹202 बिलियन से घटकर 31 मार्च 2013 को मात्र ₹35 बिलियन रह गईं।

3.5 बैंकिंग क्षेत्र के साथ अंतर-संबद्धता

बैंकों से उधार लेना एनबीएफसी के निधि का एक प्रमुख स्रोत है। एनबीएफसी द्वारा बैंकिंग क्षेत्र से लिया गया उधार 31 मार्च 2006 के ₹542 बिलियन से कई गुना बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹2,508 बिलियन हो गया (4 गुना बढ़ोतरी)। तथापि, एनबीएफसी को प्रदत्त बैंक ऋण की वृद्धि सितंबर 2012 और मार्च 2012 के क्रमशः 32.5 प्रतिशत और 42.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2013 में 13.6 प्रतिशत[4] रह गई। इस गिरावट का कारण वाहन और उपभोक्ता ऋण की मांग में कमी आना, स्वर्ण के बदले ऋण प्रदान करने को लेकर कड़े मानदंड, एनबीएफसी द्वारा विशेष प्रयोजनार्थ आगे उधार दिए जाने के लिए बैंकों द्वारा एनबीएफसी को प्रदत्त कतिपय ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कोटि से अलग करना इत्यादि है। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी को प्रदत्त बैंक ऋण में डीबीओडी के दिशानिर्देशों में संशोधन के कारण गिरावट आई[5]।

चार्ट 6: एनबीएफसी द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण की प्रवृत्ति

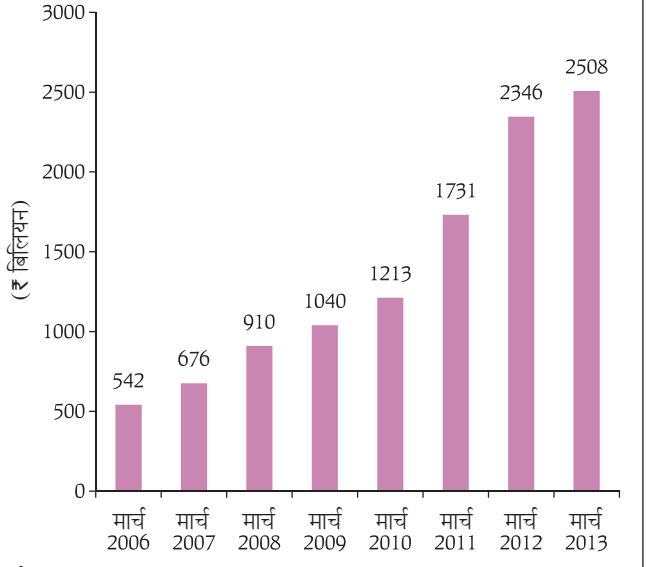

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

[4] स्रोत: वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अंक सं. 7, पृष्ठ सं. 25

[5] बैंक द्वारा किसी एनबीएफसी, जो प्रधान रूप से स्वर्ण आभूषण के संपार्श्विक के बदले ऋण प्रदान करने का कारोबार करती है, पर किया गया एक्सपोज़र (ऋण एवं निवेश दोनों, तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र सहित) बैंकों की पूंजीगत निधि के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए (स्रोत: डीबीओडी.बीपी. बीसी.सं.6/21.04.172/2013-14, दिनांक 1 जुलाई, 2013)।

प्रणालीगत स्थिरता मापने के लिए संस्थाओं में अंतर-संबद्धता की मात्रा निर्धारित करने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की मैक्रो-मैपिंग पूर्णतया अनिवार्य है।

3.6 बाजार से उधार

बाजार से लिया गया उधार[6] 31 मार्च 2006 के ₹1009 बिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹4764 करोड़ हो गया जो 8 वर्ष के दौरान 4.5 गुना वृद्धि दर्शाता है।

विभिन्न स्रोतों में एनसीडी के जरिए लिया गया उधार एनबीएफसी के लिए वित्त का सबसे बड़ा स्रोत साबित हुआ और निधि के कुल स्रोतों में इसका हिस्सा 30 प्रतिशत से भी अधिक रहा। 2010 मार्च से एनसीडी के जरिए प्राप्त निधि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जो प्रमुख रूप से (i) बुनियादी संरचनागत वित्त कंपनियों[7] और (ii) स्वर्ण ऋण एनबीएफसी के कारण है।

एनसीडी के जरिए प्राप्त वित्त की मात्रा 31 मार्च 2006 के ₹682 बिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹4044 बिलियन हो गई। स्रोत जुटाने संबंधी अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा जून 2013 को एनसीडी के प्राइवेट प्लेसमेंट के विषय में दिशानिर्देश जारी किए गए।

3.7 लाभप्रदता

एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) की प्रवृत्ति चार्ट 8 में दी गई है; इस संबंध में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े भी दर्शाए गए हैं। एनबीएफसी क्षेत्र का आरओए हमेशा से बैंकिंग क्षेत्र की अपेक्षा अधिक रहा है जो प्रमुख रूप से निम्नतर परिचालन लागत और साथ ही इस कारण से भी है कि एनबीएफसी पर सीआरआर और एसएलआर जैसी सांविधिक बाध्यताएं नहीं हैं।

3.8 सारांश यह है कि एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा घटते जीडीपी के समय बाजार से अधिकाधिक उधार लेने, प्रमुख रूप से एनसीडी, के जरिए भारी वृद्धि दर्शाई गई जबकि आरबीआई की नीति के अनुसरण में सार्वजनिक जमाराशियों में गिरावट आई। इस क्षेत्र की लाभप्रदता लगातार बैंकिंग क्षेत्र से अधिक रही है। इसके साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र और वित्त बाजार के अन्य खंडों के साथ अंतर-संबद्धता में ऋण

[6] बाजार उधारियों में वे उधार शामिल हैं जो एनसीडी, वाणिज्य पत्र एवं अंतर-कॉरपोरेट जमाएं जारी करने के जरिए प्राप्त किए गए हैं।

[7] आईएफसी की श्रेणी फरवरी 2010 में सृजित की गई।

चार्ट 7: एनबीएफसी द्वारा बाजार से लिए गए ऋण की प्रवृत्ति

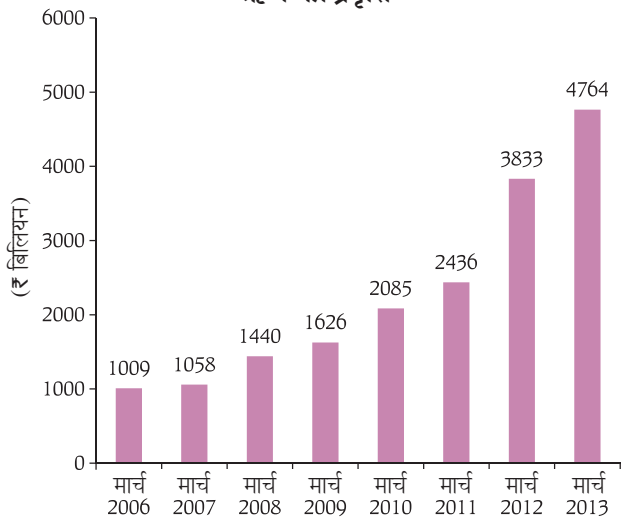

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

और अन्य लिंकेज के कारण बढ़ोतरी हुई है जिस पर विनियामकों द्वारा वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में ध्यानपूर्वक नज़र रखी जानी है।

खंड 4
समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने में एनबीएफसी की भूमिका

एनबीएफसी देश में बैंकिंग सुविधा से वंचित ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के जरिए समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एनबीएफसी भू-संपदा के

चार्ट 8: आस्तियों से आय की प्रवृत्ति - एनबीएफसी *की तुलना में* बैंक

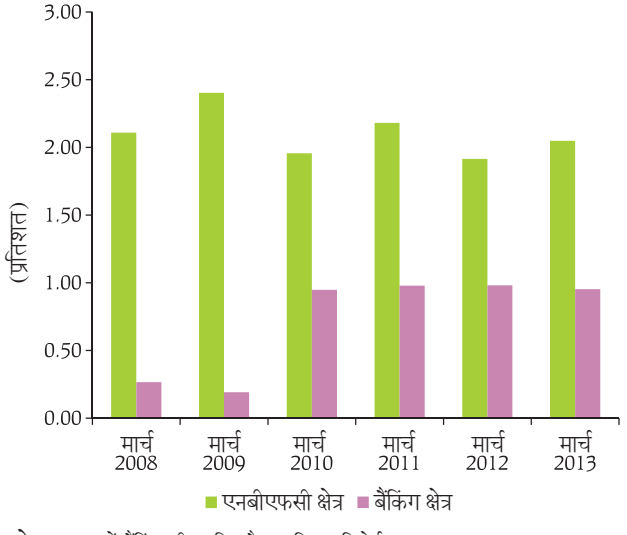

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

वित्तपोषण और बुनियादी संरचनागत प्रॉजेक्ट के लिए ऋण प्रदान करने के जरिए देश की विकास प्रक्रिया में अत्यंत सक्रिय भूमिका अदा करता है। देश में समावेशी वृद्धि स्थापित करने के लिए एनबीएफसी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन नीचे किया गया है:

4.1 एमएसएमई को प्रदत्त ऋण

एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत 26.1 मिलियन उद्यमों में 59.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करने की संभावना है और यह आर्थिक वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को प्रदत्त बकाया ऋण मार्च 2013 के अंत में ₹625 बिलियन रहा[8] (गत वर्ष ₹464 बिलियन)। बैंकिंग क्षेत्र के आंकड़े मार्च 2013 के अंत में ₹22,302 बिलियन रहे[9] (गत वर्ष ₹19,374)।

एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में की गई चौथी गणना पर आधारित डेटा के अनुसार केवल 5.18 प्रतिशत इकाइयों (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों इकाइयां) द्वारा संस्थागत स्रोतों के जरिए वित्त प्राप्त किया गया। 2.05 प्रतिशत द्वारा गैर-संस्थागत स्रोतों से वित्त प्राप्त किया गया। बहुसंख्यक इकाइयों (92.77 प्रतिशत) ने कोई वित्त नहीं लिया या वे आंतरिकवित्त व्यवस्था पर निर्भर थीं।

यह तथ्य कि सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र के बड़े समूह को सामान्य ऋण का एक्सेस नहीं है, एनबीएफसी को समुचित नवोन्मेषी उत्पाद तैयार करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।

4.2 सूक्ष्म वित्त संस्थाएं

एनबीएफसी-एमएफआई गरीब लोगों को ऋण, बचत, धन अंतरण सेवा, सूक्ष्म-बीमा इत्यादि बुनियादी वित्तीय सेवा प्रदान करती हैं और इस प्रकार मुख्यधारा वाणिज्य बैंक एवं साहूकारों के बीच के खोखलेपन को दूर करने का प्रयास करती है।

गत कुछ वर्षों में एनबीएफसी-एमएफआई गरीब लोगों को पूंजीगत सहायता प्रदान करने के जरिए, जो स्व-रोजगार को जन्म देता है, वित्तीय सेवा प्रदान करने में शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में तेजी से उभरी हैं और इस प्रकार समावेशी वृद्धि को बढ़ावा मिला है।

[8] स्रोत: एनबीएफसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर समेकित की गई।

[9] स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था सांख्यिकी पर हस्तपुस्तिका।

एनबीएफसी-एमएफआई[10] द्वारा प्रदत्त ऋण मार्च 2010 के ₹105 बिलियन से बढ़कर मार्च 2011 को ₹151 बिलियन हो गया और आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा पारित अध्यादेश, जिसके अंतर्गत सभी एमएफआई को बलपूर्वक भुगतान लेने या ऋण प्रदान करने से मना किया गया था, के कारण घटकर ₹117 बिलियन रह गया। तथापि, मार्च 2013 में एमएफआई के कार्यकलापों के आंशिक पुनरारंभ के कारण उनके द्वारा प्रदत्त बकाया ऋण बढ़कर ₹144 बिलियन हो गया जो मालेगम समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन और उच्चतम न्यायालय द्वारा एमएफआई के पक्ष में दिए गए कतिपय अनुकूल आदेशों के कारण हुआ।

मालेगम समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएफआई को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के अंतर्गत एक अलग श्रेणी बनाया। आज की तारीख में लगभग 33 एमएफआई रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत हैं।

4.3 सोने का मुद्रीकरण

स्वर्ण ऋण एनबीएफसी स्वर्ण आभूषण के बदले ऋण प्रदान करती हैं। यद्यपि बैंक स्वर्ण ऋण का कारोबार करते हैं फिर भी एनबीएफसी के स्वर्ण ऋणों में उनकी सरल मंजूरी प्रक्रियाओं, ऋण का त्वरित वितरण इत्यादि जैसे ग्राहक अनुकूल दृष्टिकोण के कारण उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

देश के अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण केंद्रों में स्थित स्वर्ण ऋण एनबीएफसी की शाखाओं में पिछले कुछ सालों में भारी वृद्धि हुई।

स्वर्ण ऋण एनबीएफसी देश में सोने के व्यर्थ स्टॉक के मुद्रीकरण में मदद करता है और उपयोगी संसाधनों के निर्माण में सहायक है। स्वर्ण ऋण एनबीएफसी द्वारा प्रदत्त ऋण मार्च 2009 से मार्च 2013 के दौरान सीएजीआर का 86.7 प्रतिशत था। मात्रा की दृष्टि से देखें तो एनबीएफसी स्वर्ण ऋण 31 मार्च 2009 के मात्र ₹39 बिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹475 बिलियन हो गया।

एनबीएफसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वर्ण ऋणों से संबंधित मामले पर अध्ययन करने के लिए के.यू.बी राव की अध्यक्षता में कार्यकारी समूह का गठन किया गया और इस समूह ने जनवरी 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समूह के अनेक सिफारिशों को स्वीकार किया गया और उस पर कार्य भी किए गए।

4.4 सेकेन्ड हैंड वाहन का वित्तपोषण

एनबीएफसी संपत्ति के बदले ऋण प्रदान करने के अलावा उपयोग में लाए गए/ सेकेन्ड हैंड वाहनों, दुरुस्त किए गए वाहन, तिपहिया वाहन, निर्माण उपकरण के अतिरिक्त प्रतिभूत/गैर-

चार्ट 10: एमएफआई द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की प्रवृत्ति

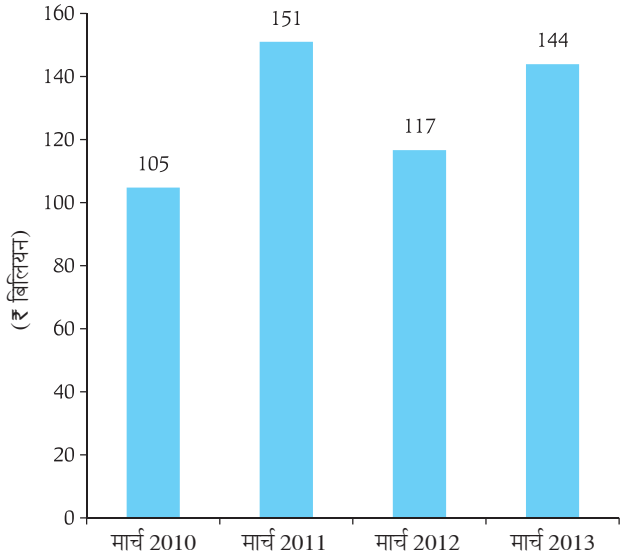

स्रोत: कासमास डेटाबेस, आरबीआई।

चार्ट 11: स्वर्ण ऋण एनबीएफसी द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की प्रवृत्ति

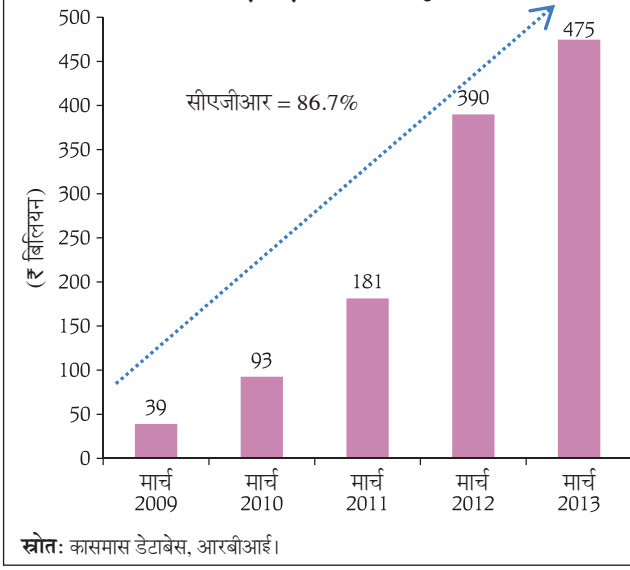

स्रोत: कासमास डेटाबेस, आरबीआई।

[10] यह डेटा उन एनबीएफसी से संबंधित है जो सूक्ष्म वित्त कार्यकलापों में लीन हैं और इस डेटा का संकलन एनबीएफसी द्वारा गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर किया गया है।

प्रतिभूत कार्यशील पूंजी वित्त इत्यादि के वित्तपोषण का कारोबार भी करती हैं।

प्रसंगवश भारत में एनबीएफसी को छोड़कर कोई अन्य वित्त क्षेत्र संस्था सेकेन्ड हैंड वाहनों का वित्तपोषण नहीं करती जो सड़क परिवहन परिचालकों में अत्यंत लोकप्रिय है विशेषकर स्व-नियोजित क्षेत्र में।

4.5 किफायती आवास

एक और क्षेत्र जिसमें एनबीएफसी समावेशी वृद्धि के उद्देश्य से कार्य कर रही है, वह है किफायती आवास। बड़ी-बड़ी एनबीएफसी देशभर में निम्न-आय वाले ग्राहकों को मकान खरीदने के लिए छोटी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए इकाइयों की स्थापना कर रही हैं। फर्में ₹6000-12000 की मासिक आय वाले उधारकर्ताओं को, जिन्हें वाणिज्य बैंकों से ऋण लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ₹2-6 लाख का ऋण प्रदान कर रहें हैं। फर्में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी मानदंड को सरल कर रहे हैं जैसे प्रलेखन आवश्यकताओं में छूट प्रदान करना ताकि निम्न-आय वाले उधारकर्ताओं को सुलभता से ऋण उपलब्ध कराया जा सके। आवास वित्त एनबीएफसी द्वारा प्रदान किए गए आवास ऋणों की प्रवृत्ति नीचे दी गई हैं।

चार्ट 12: एएफसी द्वारा आस्ति का वित्तपोषण

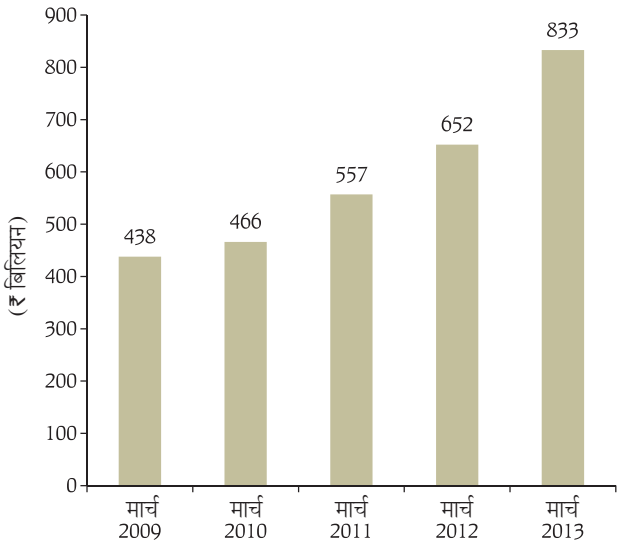

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट

चार्ट 13: आवास ऋणों की प्रवृत्ति

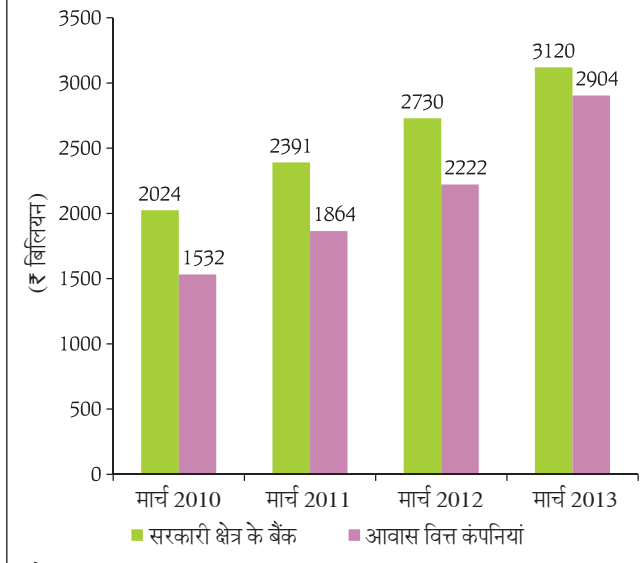

स्रोत: राष्ट्रीय आवास बैंक

आवास वित्त एनबीएफसी सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बराबर आवास ऋण प्रदान करने में सही मायने में बाजीगर है। आवास वित्त एनबीएफसी द्वारा उपलब्ध कराये गये आवास ऋण की मात्रा लगभग समान है यद्यपि तुलनात्मक रूप से वह पीएसबी से बहुत कम है (चार्ट 13)।

4.6. निष्कर्ष यह है कि ऊपर बताए गए अनुसार वित्तीय समावेशन में एनबीएफसी की भूमिका इस तथ्य को दर्शाती है कि वे कतिपय क्षेत्रों जैसे वित्तीय समावेशन खासकर माइक्रो वित्त, किफायती आवास, सेकेन्ड हैंड वाहन वित्त, स्वर्ण ऋण और बुनियादी संरचना वित्त में बाजीगर रही हैं।

एनबीएफसी वाकई में बाजीगर बन सकती हैं बशर्ते वे आवश्यक चातुर्य और नव उत्साह के साथ सभी वित्तीय उत्पाद जैसे शेयर, म्युचुअल फंड, निक्षेपागार सेवाएं इत्यादि के साथ-साथ बीमा उत्पाद - जीवन और जीवनेतर दोनों अपनी वर्तमान पेशकश के साथ आम आदमी को प्रस्तुत कर सके।

एमएसएमई के संदर्भ में एनबीएफसी फैक्टरिंग और बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के जरिए बाजीगर बन सकती हैं जो वित्त क्षेत्र विकास के वर्तमान समय में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

खंड 5
सच्चा बाजीगर बनने के लिए एनबीएफसी के लिए अत्यावश्यक

क. उद्योग के लिए कार्य बिंदुएं

निम्नलिखित मुद्दों पर प्राथमिकता आधार पर कार्य किया जाना है जिससे वे खुद-ब-खुद असली बाजीगर बन सके।

5.1 ग्राहक सुरक्षा मुद्दा

संकट के बाद अनुचित, भ्रामक या कपटपूर्ण व्यवहार से ग्राहकों की रक्षा करने की ओर अंतरराष्ट्रीय तौर पर अधिक प्राथमिकता दी गई। प्रसंगवश बैंक द्वारा अत्यधिक ब्याज दर वसूले जाने, अपरिवर्तनीय डिबेंचर, विभिन्न प्रकार के अधिमानी शेयर, टियर II बांड आदि की आड़ में प्रतिनिधि जमाओं को बढ़ाए जाने के विरुद्ध अधिक संख्या में शिकायत प्राप्त की गई और प्राप्त की जा रही है। वाहन ऋण के मामले में वाहनों को वापस लेने का आक्रामक रुख़ और स्वर्ण ऋण के मामले में गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की बिक्री में अनुचित/अपारदर्शी रवैया अपनाए जाने के कारण इन दो प्रकार के ऋणों में अपेक्षाकृत अधिक शिकायत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त की गईं/ की जा रही हैं। अमूमन यह देखा गया है कि एनबीएफसी निष्पक्ष आचरण संहिता (एफपीसी) का अक्षरशः पालन नहीं करती। इस कार्य बिंदु के संदर्भ में अनुक्रियाशील और उचित शिकायत निवारण प्रक्रिया विकसित करना अधिक महत्त्वपूर्ण एजेंडा है।

5.2 जनता की जमाराशियों को छल से छिपाना

यह देखा गया है कि एनबीएफसी द्वारा संसाधन अर्थात् संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर (सीआरपीएस)/संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर (सीसीपीएस)/ एनसीडी/टियर 2 पूंजी जुटाने के लिए जनता की छिपाई गई जमाराशियों को स्वीकार करने के विभिन्न लिखत/तरीके अपनाए जाते हैं। आम तौर पर ये लिखत बहुधा एजेंटों द्वारा कोई अन्य जमा उत्पाद के रूप में बेचे जाते हैं।

विनियामकों को चाहिए कि वे ऐसी एनबीएफसी जो जनता की जमाराशियों को छिपाने के जरिए संसाधन जुटाने में लगी है उनकी जांच और नियंत्रण के लिए स्पष्ट रूप से सूक्ष्म भेदों में अंतर बताएं।

इसके अतिरिक्त यह शिकायत प्राप्त हुई है कि ग्राहकों को जारी की गई जमा रसीदों से पता चलता है कि वे जमाएं किसी अन्य समूह कंपनियों की ओर से स्वीकार की गई है जिनके कारोबार के बारे में न तो कोई जानकारी है और न ही उनका कारोबार स्पष्ट है।

5.3 कॉरपोरेट गवर्नेन्स मानकों में सुधार करना

किसी भी वित्त संस्था को वास्तविक बाजीगर बनने के लिए कारोबार में पारदर्शिता लानी जरूरी है। एनबीएफसी के मामले में अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेन्स का अभ्यास अनिवार्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उच्चतम अभ्यास के हिस्से के रूप में एनबीएफसी के लिए गवर्नेन्स कोड पहले से ही निर्धारित किया है; जिनमें जोखिम प्रबंध, लेखापरीक्षा और नामांकन समितियों का गठन, प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता शामिल हैं। जब अधिकाधिक शेयरधारकों और निदेशकों के पंजीकरण के समय अत्यंत सावधानी बरती गई तब यह पाया गया कि निदेशकों की अर्हता, निदेशकों को बदलने इत्यादि के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया।

5.4 क्षमता निर्माण

एनबीएफसी को चाहिए कि वह क्षमता निर्माण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों आधार पर उत्साहपूर्ण माहौल विकसित करने की दिशा में काम करे; क्योंकि मध्यम से दीर्घावधि में स्टाफ की गुणवत्ता ही काफी हद तक क्षेत्र का स्वास्थ्य निर्धारित करती है।

5.5 अधिक नवीनता

हालांकि एनबीएफसी ग्राहकों और बाजार की स्थितियों के मुताबिक नए उत्पाद तैयार कर रही हैं लेकिन हाल में वित्तीय सेवाओं की कृत्रिमता धीरे-धीरे बढ़ने लगी हैं। एनबीएफसी के लिए अनिवार्य है कि वह अर्थव्यवस्था में वास्तविक बाजीगर बनने के लिए अत्यंत महत्त्वाकांक्षी होकर नए उत्पादों का विकास करे।

इस संदर्भ में 'गरीबों का पोर्टफोलिया' जो गरीबों की दैनंदिन समस्याओं का सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है (कोलिन्स, कुलकर्णी ऐन्ड गेवरान, 2009), में किए गए विस्तृत वर्णन से संकेत लिया जा सकता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि निम्न आय वाले परिवार 10 प्रकार के वित्तीय लिखतों, धन के परिवहन के लिए कई तरीकों तथा धन को सुरक्षित रखने के लिए नाना प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं। आर्थिक जोखिम से बचने के लिए उनका मौलिक संरक्षण है - विविधता, अपने प्रतिपक्षों की जानकारी रखना और लंबे समय तक बने रहने वाले संबंधों का न्यायपूर्ण उपयोग। एनबीएफसी

को चाहिए कि वह दूर-दूर तक फैले अपने नेटवर्क से लंबे समय तक संबंध बनाए रखे जाने योग्य गरीब लोगों की जरूरतों के मुताबिक नए उत्पाद सृजित करे।

5.6 व्हाइट लेबल एटीएम

एनबीएफसी का अर्ध-शहरी और ग्रामीण केन्द्रों में पर्याप्त कारोबार है जिसके कारण वे ऐसे क्षेत्रों में व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित कर अपने कारोबर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

5.7 उद्योग के लिए एकल प्रतिनिधि निकाय की जरूरत

एनबीएफसी के मामले में आस्ति वित्त कंपनियों के लिए वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी), स्वर्ण ऋण एनबीएफसी के लिए स्वर्ण ऋण कंपनी संघ (एजीएलओसी) इत्यादि जैसे विभिन्न प्रतिनिधि निकायों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने हाल में 'सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठन' हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। एनबीएफसी क्षेत्र के विकास के इस चरण में इसके सभी वर्गों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए मौजूदा निकायों को सम्मिलित कर पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि निकाय की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शीर्ष निकाय में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो ताकि क्षेत्र सामंजस्यपूर्ण एवं संतुलित वृद्धि कर सके एवं आपसी मतभेदों से बचा जा सके।

5.8 भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों के साथ साझेदारी

एनबीएफसी को चाहिए कि वह रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों के साथ साझेदारी करे और उनके द्वारा बाजार में सामना की जा रही चुनौतियों को व्यक्त करे तथा उपकारी विनियामक माहौल विकसित करने हेतु विनियामकों को बहुमूल्य सूचनाएं प्रदान करे।

ख. विनियामकों की भूमिका

विनियामकों को भी एनबीएफसी क्षेत्र को वास्तविक बाजीगर योग्य बनाने के लिए कतिपय मुद्दों पर कार्य करने की जरूरत है।

5.9 उपभोक्ता के सलाहकार के रूप में विनियामक और साथ ही विवेकपूर्ण विनियामक

एनबीएफसी के संदर्भ में, ग्राहक रक्षा का मामला अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जो ऊपर दिए गए पैराग्राफ 5.1 से 5.3 से स्पष्ट होता है। अतः विनियामकों को उपभोक्ता के सलाहकार के साथ-साथ विवेकपूर्ण विनियामक होने के नाते एनबीएफसी के संदर्भ में दोहरी भूमिका अदा करने की जरूरत है।

ऊपर पैराग्राफ 5.1 से 5.3 में दर्शाए गए विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में उपभोक्ता के सलाहकार होने की आवश्यकता पर कोई अधिक बल दिए जाने की जरूरत नहीं है।

जहां तक विवेकपूर्ण विनियामक की भूमिका का संबंध है, इन्हें व्यक्तिगत एनबीएफसी (व्यष्टि विवेकपूर्ण) के साथ-साथ सर्वांगीण तौर पर प्रणाली (समष्टि विवेकपूर्ण विनियम) पर भी ध्यान देना चाहिए।

5.10 उच्च स्तरीय निगरानी

विनियामकों द्वारा गैर-अनुमति प्राप्त गतिविधियों में लीन अप्राधिकृत संस्थाओं के साथ-साथ प्राधिकृत संस्थाओं की गतिविधियों को उजागर करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, जहां भी संभव हो सके संबंधित विनियामकों को आवश्यक विनियामक एवं पर्यवेक्षी शक्ति प्रदान करने हेतु नियमों में संशोधन किए जाने की जरूरत है।

5.11 विनियामक अभिरूपता

सभी संबंधित विनियामकों को चाहिए कि वे आपस में विनियामक अभिरूपता लाए जिससे किसी भी प्रकार की संभावित विनियामक स्वेच्छाचारी से बचा जा सके।

5.12 उच्चतर स्तर का समन्वय

सभी विनियामकों को आपस में उच्चतर स्तर का समन्वय लाने के लिए लगातार सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए जिससे विनियामक कमियों तथा अतिव्याप्ति का जल्द-से-जल्द पता लगाया जा सके और तत्पश्चात् तत्काल सुधारात्मक कार्य किया जा सके।

खंड 6
आगे की राह एवं निष्कर्ष

एनबीएफसी पहले से ही बाजीगर हैं जो वित्तीय समावेशन संबंधी उपर्युक्त विश्लेषण, खासकर सूक्ष्म वित्त, किफायती दर पर आवास, सेकंड हैंड वाहन वित्त, स्वर्ण ऋण एवं बुनियादी संरचना वित्त से मालूम होता है। एनबीएफसी आने वाले समय में व्यक्ति एवं

एमएसएमई को आर्थिक रूप से समावेश करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। जहां तक व्यक्ति का संबंध है, एनबीएफसी अपनी वर्तमान पेशकश के साथ प्रतिभूति उद्योग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न वित्तीय उत्पाद, जैसे शेयर, म्युचुअल फंड, डिपाजिटरी सेवाएं इत्यादि के साथ-साथ जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा दोनों उत्पाद प्रस्तुत कर सकती हैं। और जहां तक एमएसएमई का संबंध है एनबीएफसी फैक्टरिंग तथा बिल भुगतान सेवा, जो वर्तमान समय में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, उपलब्ध कराने के जरिए बाजीगर बन सकती हैं।

आगे सह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनबीएफआई क्षेत्र तथा सभी संबंधित विनियामक - दोनों ऊपर खंड 5 में उल्लेख की गई अनिवार्यताओं पर सक्रियता से काम करे। जहां तक वित्तीय समावेशन का संबंध है बाजीगर का रूप लेने वाली एनबीएफसी के संदर्भ में, दूर-दूर तक इसके दायरे को बढ़ाने के लिए वित्त क्षेत्र तथा सभी विनियामकों की पूरक भूमिका के बारे में, शायद ही कुछ कहे जाने की जरूरत है। इस संदर्भ में, एनबीएफसी का एक विशेष दायित्व है कि वह बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेन्स के अनुरूप अपने कार्य के निष्पादन के जरिए ग्राहक सेवा में सुधार करे। अंतिम विश्लेषण के अनुसार यह पाया गया कि उत्तम कॉरपोरेट गवर्नेन्स एवं नैतिक व्यवहार का पालन करने से, विशेषतया, अपने ग्राहकों और, सामान्यतः, समाज का विश्वास जीता जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप एनबीएफसी अपने ग्राहकों और समाज दोनों में अधिक विश्वास जगा पाएगा। इससे एनबीएफसी को ऊपर उल्लेख किए गए क्षेत्रों में अपनी बाजीगर की भूमिका पूरी करने की प्रक्रिया में अपने कारोबार के स्तर को बढ़ाने में प्रेरणा मिलेगी। एनबीएफसी का असली बाजीगर बनना देश में वित्तीय समावेशन के हमारे प्रयासों के लिए अच्छी ख़बर है।

धन्यवाद।

अनुबंध - I : एनबीएफसी के लिए वर्तमान विनियामक ढांचा *(जारी)*	
विषय	**विनियम/दिशानिर्देश**
पंजीकरण प्रमाणपत्र	कोई भी कंपनी रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बगैर एनबीएफसी का कारोबार नहीं कर सकता। निम्नतम निवल स्वाधिकृत निधि = रु. 2 करोड़[11] एनबीएफसी-एमएफआई के लिए निम्नतम एनओएफ = रु. 5 करोड़[12] एनबीएफसी-घटक के लिए निम्नतम एनओएफ = रु. 5 करोड[13] बंधक गारंटी कंपनी के लिए निम्नतम एनओएफ = रु. 100 करोड़[14]
चलनिधि आस्तियों का रख-रखाव	जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को अपनी जनता की जमाओं का 15 प्रतिशत सांविधिक नकदी आस्तियों में निवेश करना है। 15 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत भार रहित प्राधिकृत प्रतिभूतियों में तथा बाकी के 5 प्रतिशत अधिसूचित वाणिज्य बैंकों की सावधि जमाराशियों में।
आरक्षित निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अनुसार, प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी को आरक्षित निधि सृजित करना होगा और लाभ और हानि खाता में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, लाभांश घोषित करने से पहले, प्रत्येक वर्ष अपने निवल लाभ का कम-से-कम 20 प्रतिशत इस निधि में स्थानांतरित करना होगा।
जनता की जमाराशियों की अधिकतम सीमा	एएफसी (क्रेडिट रेटिंग बगैर) अपनी एनओएफ का डेढ़ गुना या 10 करोड़ तक, जो भी कम हो, जनता की जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं। एएफसी (निम्नतम क्रेडिट रेटिंग के साथ) अपनी एनओएफ के 4 गुना तक जनता की जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं। ऋण/निवेश कंपनियां (क्रेडिट रेटिंग और 15 प्रतिशत के निम्नतम सीआरएआर के साथ) अपनी एनओएफ के डेढ़ गुना तक जनता की जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं। ऋण/निवेश कंपनियां (एए क्रेडिट रेटिंग के साथ और 15 प्रतिशत के निम्नतम सीआरएआर रहित) अपनी एनओएफ तक की जनता की जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं। ऋण/निवेश कंपनियां (ए क्रेडिट रेटिंग के साथ और 15 प्रतिशत के निम्नतम सीआरएआर रहित) अपनी एनओएफ के 50 प्रतिशत तक की जनता की जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं।
जमा दरों की अधिकतम सीमा	जनता की जमाराशियों पर देय अधिकतम ब्याज दर 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होना चाहिए।
सीआरएआर	जमाराशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और जमाराशियां स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी द्वारा 31 मार्च 2011 की तारीख से 15 प्रतिशत का निम्नतम सीआरएआर रखा जाना चाहिए।
एएलएम दिशानिर्देश	सामान्य स्थिति में 1-30/31 दिनों के दौरान हुआ असंतुलन (ऋणात्मक कमी अर्थात् अंतर्वाह-बहिर्वाह) इस समयावधि में हुए नकदी बहिर्वाह के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
संकेन्द्रण मानदंड	एकल उधारकर्ता - ऋण - स्वाधिकृत निधि का 15 प्रतिशत: निवेश - स्वाधिकृत निधि का 15 प्रतिशत सामूहिक उधारकर्ता - ऋण - स्वाधिकृत निधि का 25 प्रतिशत : निवेश - स्वाधिकृत निधि का 25 प्रतिशत मिश्रित (ऋण + निवेश) एकल उधारकर्ता - स्वाधिकृत निधि का 25 प्रतिशत एवं सामूहिक उधारकर्ता - स्वाधिकृत निधि का 40 प्रतिशत बुनियादी संरचना संबंधी गतिविधियां: एकल - स्वाधिकृत निधि का अतिरिक्त 5 प्रतिशत एवं समूह - स्वाधिकृत निधि का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आस्ति वित्त गतिविधियां : एक पक्ष और एकल सामूहिक पक्ष के लिए उनकी स्वाधिकृत निधि के और 5 प्रतिशत तक
तुलन पत्र में प्रकटीकरण	एनबीएफसी-एनडी-एसआई 31 मार्च 2009 की तारीख से अपने तुलन पत्रों में निम्नांकित मदों में अतिरिक्त प्रकटीकरण कर सकते हैं पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्ति अनुपात स्थावर संपदा क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निवेश

[11] 21 अप्रैल 1999 से पहले पंजीकृत कंपनियों के लिए निम्नतम एनओएफ ₹25 लाख था। तथापि, जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी के एनओएफ को धीरे-धीरे, बाधा रहित एवं बिना पक्षपात के बढ़ाकर कम-से-कम 200 लाख करने के जरिए उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए निदेश जारी किया गया है।

[12] मौजूदा एनबीएफसी, जो एनबीएफसी-एमएफआई को बदलना चाहते हैं, को 31 मार्च 2013 तक ₹3 करोड़ एवं 31 मार्च 2014 तक ₹5 करोड़ की निम्नतम एनओएफ रखनी पड़ेगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कारोबार कर रही एनबीएफसी को बढ़ावा देने के लिए निम्नतम एनओएफ 31 मार्च 2012 तक ₹1 करोड़ और 31 मार्च 2014 तक ₹2 करोड़ निर्धारित की गई है। सभी नई कंपनियां जो एनबीएफसी-एमएफआई का पंजीकरण कराना चाहती हैं उन्हें ₹5 करोड़ की निम्नतम एनओएफ रखने की जरूरत है, सिवाय देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्हें अगली सूचना दिए जाने तक ₹2 करोड़ की एनओएफ रखनी पड़ेगी (स्रोत: डीएनबीएस (पीडी) सीसी.सं. 300/03.10.038/2012-13 दिनांक 03 अगस्त, 2012)।

[13] वर्तमान कंपनियां जो एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण कराना चाहती हैं लेकिन ₹5 करोड़ के एनओएफ मानदंड को पूरा नहीं करती, वे अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय की मांग हेतु बैंक से संपर्क कर सकती हैं।

[14] स्रोत: डीएनबीएस (पीडी-एमजीसी) सी.सी. सं. 14/23.11.001/2013-14 दिनांक 1 जुलाई, 2013

अनुबंध - I : एनबीएफसी के लिए वर्तमान विनियामक ढांचा *(समाप्त)*	
विषय	**विनियम/दिशानिर्देश**
आस्ति का वर्गीकरण	सभी प्रकार के ऋणों (प्राप्य सहित) का वर्गीकरण मानक, उप-मानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में किया जाना चाहिए। उप-मानक आस्ति से तात्पर्य ऐसी आस्तियों से है जिसे कम-से-कम 18 महीनों की अवधि के लिए अनर्जिक आस्तियों[15] के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संदिग्ध आस्ति से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जिसे 18 माह से अधिक अवधि के लिए उप-मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हानि आस्ति से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जिसे एनबीएफसी या उसके आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षक या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान उसे हानि आस्ति घोषित किया गया है।
प्रावधान संबंधी मानदंड	मानक आस्तियां = 0.25 प्रतिशत उप-मानक आस्तियां = बकाया शेष का 10 प्रतिशत संदिग्ध आस्तियां = अप्रतिभूत हिस्से के लिए 100 प्रतिशत और प्रत्याभूत हिस्से के लिए 20, 30 एवं 50 प्रतिशत जो संदिग्ध आस्तियों की अवधि पर निर्भर करता है। हानि आस्तियां = बकाया शेष का 100 प्रतिशत
जोखिम भार	प्रत्येक आस्ति के मूल्य को संगत जोखिम भार से गुना करना पड़ता है ताकि आस्तियों में जोखिम को घटाकर उसका मूल्य प्राप्त किया जा सके। आस्तियों के जोखिम के आधार पर जोखिम भार शून्य प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत हो सकता है। आस्तियों में जोखिम को घटाकर उसका मूल्य प्राप्त करने के लिए तुलनपत्रेतर मदों को पहले 50 या 100 प्रतिशत परिवर्तन घटक से गुना करना पड़ता है और उसके बाद इसमें जोखिम भार जोड़ना पड़ता है।
एलटीवी अनुपात	एनबीएफसी को स्वर्ण आभूषण के संपार्श्विक के बदले प्रदत्त ऋण के लिए 75 प्रतिशत से अनधिक एलटीवी अनुपात रखना पड़ता है।
कॉरपोरेट गवर्नेन्स संबंधी दिशानिर्देश	एनबीएफसी को अपने कार्य में उत्तम व्यवहार एवं अधिक पारदर्शिता लाने योग्य बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। जमाराशि स्वीकार करने वाली वे सभी एनबीएफसी जिनकी जमाराशि का आकार 20 करोड़ एवं इससे अधिक है तथा जमाराशि नहीं स्वीकार करने वाली वे सभी एनबीएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹100 करोड़ एवं इससे अधिक है, को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।
केवाईसी संबंधी दिशानिर्देश	एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे 'अपने ग्राहक को जानिए' तथा 'धन-शोधन निवारण' के संबंध में बोर्ड अनुमोदन प्राप्त समुचित नीतिगत ढांचा तैयार कर उसे अमल में लाएं।
उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, सभी एनबीएफसी द्वारा ऋण प्रदान करने का कारोबार करते समय उनके द्वारा अपनाए जाने योग्य उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश जारी किया गया। दिशानिर्देश में ऋण की शर्तों को लेकर पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ ही रिकवरी के लिए गैर-सख्त तरीके अपनाए जाने के संबंध में सामान्य सिद्धान्त दिया गया है।
ब्याज दर फ्यूचर्स का परिचय	एनबीएफसी अपने एक्सपोज़र के बचाव के उद्देश्य से सेबी द्वारा मान्य प्राधिकृत ब्याज दर फ्यूचर्स विनिमय में बतौर ग्राहक, इस मामले पर आरबीआई/सेबी की शर्तों के अंतर्गत, भाग ले सकती हैं।
एफडीआई संबंधी मानदंड का अनुपालन - एनबीएफसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों से अर्ध वार्षिक प्रमाणपत्र	वे एनबीएफसी जिनमें या तो स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत एफडीआई किया गया है, को नियत निम्नतम पूंजीकरण मानदंडों एवं समय-समय पर संशोधित अन्य संबंधित शर्तों, जिनके तहत एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है, का अनुपालन करना है।
मुद्रा फ्यूचर्स में सहभागिता	यह निर्णय लिया गया है कि आरएनबीसी को छोड़कर सभी एनबीएफसी अपने विदेशी एक्सपोज़र के बचाव के उद्देश्य से सेबी द्वारा मान्य प्राधिकृत मुद्रा फ्यूचर्स विनिमयों में बतौर ग्राहक भाग ले सकेंगी और यह आरबीआई (विदेशी मुद्रा विभाग) द्वारा इस मामले पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन होगा।
क्रेडिट डीफॉल्ट स्वैप - उपयोगकर्ता के रूप में एनबीएफसी	एनबीएफसी केवल सीडीएस बाजार में उपयोगकर्ता के रूप में भाग ले सकेंगी। उपयोगकर्ता के रूप में उन्हें केवल अपने द्वारा धारित कॉरपोरेट बांड के ऋण संबंधी जोखिम के बचाव के लिए ऋण सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्हें ऋण सुरक्षा बेचने की अनुमति नहीं है और इस प्रकार सीडीएस संविदा में खरीद से ज्यादा बिक्री करने की भी अनुमति नहीं है। तथापि, उन्हें सीडीएस में अपनी खरीद को वास्तविक पक्षकार को बेचने या निहित बांड के क्रेता के पक्ष में करने की अनुमति प्राप्त है।
एनबीएफसी द्वारा निजी तौर पर शेयर आबंटन करने के जरिए धन जुटाना	(i) सभी एनबीएफसी 49 से अधिक निवेशकों, जो एनबीएफसी द्वारा पहले ही निर्धारित है, को निजी तौर पर शेयर आबंटित नहीं कर सकती, (ii) अकेला निवेशक ₹25 लाख की निम्नतम राशि और उसके बाद ₹10 लाख के गुणकों में निवेश कर सकता है। (iii) दो बार निजी तौर पर किए गए शेयरों के आबंटन के बीच कम-से-कम छह माह का अंतराल होना चाहिए। (iv) कोई एनबीएफसी अपने निजी डिबेंचर (निजी तौर पर शेयर आबंटन करने या सरकारी निर्गम के जरिए जारी)) की प्रतिभूति के बदले ऋण प्रदान नहीं कर सकेंगी।
शाखाओं का खोला जाना	स्वर्ण ऋण कंपनियों को 1000 से अधिक शाखाएं खोलने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत है।

[15] एनपीए अर्थात् आस्ति जिसका ब्याज छह माह या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा है।